36 देशों से 274 भगोड़े लाए गए

401 रेड कॉर्नर नोटिस पर पिछले तीन वर्षों में कार्रवाई की गई : शाह

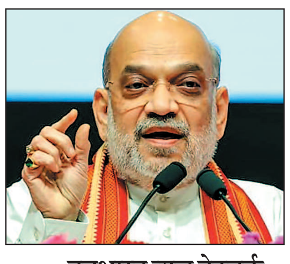

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 7 सितंबर. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आतंकवाद, नक्सलवाद, पूर्वोत्तर के उग्रवाद, भगोड़े अपराधियों और नशीले पदार्थों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया है.

पांच दशक पुरानी नक्सलवाद की समस्या अब अतीत की बात है . पूर्वोत्तर में भी 10,000 से अधिक युवाओं ने केंद्र ने क्षेत्र में शांति के लिए 14 से अधिक समझौते किए हैं. भगौ? अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर शाह ने कहा कि 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया.

पिछले तीन वर्षों में 401 भगोड़े अपराधियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए गए, जबकि 2026 में अब तक 182 नोटिस जारी हुए हैं.भारत पोल के जरिए 1,400 से अधिक एजेंसियों इंटरपोल से जोड़ा गया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सूचनाओं के आदान-प्रदान में लगने वाला समय घटकर तीन से 10 दिन रह गया है. शाह ने कहा कि 2019 से 2026 के बीच भगोड़े अपराधियों से जुड़े 17,874 करोड़ की संपत्तियां जब्त की गई, जबकि इसी अवधि में 18,762 करोड़ रुपये की सफल वापसी भी हुई.

2047 में नशामुक्त युवा करेंगे नेतृत्व

शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि नशामुक्त युवा शक्ति 2047 में विकसित भारत का नेतृत्व करे और केंद्र सरकार ने 2029 तक भारत को नशामुक्त बनाने के लिए प्रारूप तैयार किया है. सरकार देश को नशामुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्धता है, जिस तरह आतंकवाद से निपटने के लिए प्रयास किए हैं.

साइबर अपराध पर भी शिकंजा

साइबर अपराध से निपटने के लिए 1930 हेल्पलाइन और अन्य व्यवस्थाओं का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर साइबर अपराध के खिलाफ एक व्यवस्थित तंत्र तैयार किया है. उन्होंने गोवा पुलिस की भी सराहना की और कहा कि तीन नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद राज्य की दोषसिद्धि दर 22 प्रतिशत से बढ़कर 53.2 प्रतिशत हो गई है.

अमेजन के बिना लाइसेंस गोदामों पर छापा

नवभारत न्यूज़ नेटवर्क

बेंगलुरु, 7 सितम्बर। कर्नाटक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के दो बिना लाइसेंस वाले स्टोरेज गोदामों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ₹4,02,352 मूल्य की दवाएं जब्त की हैं. यह कार्रवाई नियमों के गंभीर उल्लंघन और बिना वैध ड्रग लाइसेंस के दवाओं के अवैध भंडारण एवं वितरण से जुड़ी सटीक खुफिया जानकारी आधार पर की गई. इस सिलसिले में पहली छापेमारी अनेकल तालुक के थट्टानहल्ली स्थित मेसर्स अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के परिसर में की गई. राज्य खुफिया शाखा के सहायक औषधि नियंत्रक मनोहर के नेतृत्व में अधिकारियों ने यहां से 2,45,352 मूल्य की दवाएं जब्त कीं.

AURANGABAD SMART CITY DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (ASCDCL)

REQUEST FOR PROPOSAL

ASCDCL invites firms possessing relevant capabilities to respond to this RFP for following:

Sr. No.	Title and Tender ID No	Extension of Bid Due Date	Technical Opening Date
01	Providing 315KVA,33KV/0.440KV Transformer and 33KV RMU for city bus depo at Jadhavwadi, Chhatrapati sambhajinagar Tender ID - 2026_ASCDC_1335563_1	14/09/2026	15/09/2026
02	SITC of 250 KVA Diesel Generator and Electrical works at City Bus Depot, Jadhavwadi Tender ID - 2026_ASCDC_1336115_1	14/09/2026	15/09/2026

The tender documents can be downloaded from https://www.mahatenders.gov.in

Sd/-
Chief Executive Officer
Aurangabad Smart City Development Corporation Limited

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वगीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	37923279	संपत्ति के बदले ऋण	19-Aug-2026	1,47,934.35/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम: 1. सुरेश सिंह 2. बसंत राय

संपत्ति का पता: यह प्रॉपर्टी प्लॉट कुल 864 वर्ग फुट (80.29 वर्ग मीटर) का है। यह पीएच नंबर 26, सर्वे नंबर 103, गाँव: महूडिया खालसा, तहसील: हाटपिपलिया, ज़िला: देवास, मध्य प्रदेश-455118 में स्थित है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: चिन्तेश मांगीलाल, पश्चिम: दयाराम मांगीलाल, उत्तर: स्थानीय सड़क, दक्षिण: अपना घर।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
2	41493696	होम लोन	13-Aug-2026	1,58,958.37/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम: 1. कारूलाल सूर्यवंशी 2. संतोषबाई सूर्यवंशी

संपत्ति का पता: वह पूरी प्रॉपर्टी/घर जिसका कुल एरिया 3767.4 वर्ग फीट है (पूर्व से पश्चिम: 39 फीट और उत्तर से दक्षिण: 96.6 फीट), जो जमीन सर्वे नंबर 342/MEEN-3, गाँव: मगरना, तहसील: मल्हारगढ़, ज़िला: मंदसौर, मध्य प्रदेश-458556 के हिस्से में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ (सेल डीड के अनुसार) इस प्रकार हैं:- पूर्व: सत्यनारायण की जमीन, पश्चिम: पर्वतसिंह की जमीन, उत्तर: रामलाल बलाई की जमीन, दक्षिण: हिंगोरिया रोड।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
3	85982080	संपत्ति के बदले ऋण	19-Aug-2026	4,60,501.31/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम: 1. दिनेश सुतार 2. दुर्गा बाई

संपत्ति का पता: वह पूरा बना हुआ घर नंबर 45, जिसका कुल क्षेत्रफल 2016 वर्ग फुट है, जो सर्वे नंबर 536, वार्ड नंबर 02, पीएच नंबर 17, ग्राम: रिच्छी, ग्राम पंचायत: रिच्छी, तहसील: नलखेड़ा, जिला: आगर मालवा, मध्य प्रदेश-465445 में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं:- पूर्व: सड़क, पश्चिम: सड़क, उत्तर: शिवलाल का घर, दक्षिण: सरकारी खुली जमीन।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
4	160340082	संपत्ति के बदले ऋण	22-Aug-2026	7,34,598.38/-

ऋणकताओं और सह-ऋणकताओं के नाम: 1. राधेश्याम वर्मा 2. पायल राधेश्याम 3. रंगबाई मांगीलाल

संपत्ति का पता: प्लॉट नंबर 126 (P) का वह पूरा हिस्सा और टुकड़ा, जिसका कुल क्षेत्रफल 94 वर्ग मीटर है, जो सर्वे नंबर 122 (B), पटवारी हल्का जामंडा और नंबर 63/282 (पत्र के अनुसार), ग्राम: जामंडा, ग्राम पंचायत: जामंडा, तहसील: धार, जिला: धार, मध्य प्रदेश-454001 में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं:- पूर्व: प्लॉट नंबर 125, श्री मायारामजी सिंह (पिता श्री मांगीलाल) और श्रीमती सुमन बाई (पत्नी श्री मायाराम), पश्चिम: प्लॉट नंबर 127, श्रीमती रीना (पत्नी श्री राहुल) और श्री राहुल डांगी (पिता छोगलाल), उत्तर: सर्वे नंबर 86, श्री भूरे सिंह (पिता श्री रामेश्वर), दक्षिण: प्लॉट नंबर 131, दूसरों की सरकारी जमीन और सड़क।

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के रूप में जाना जाता है). इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक: 08.09.2026
स्थान: मध्यप्रदेश
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

NAME CHANGE

I ANISA ALI ASGAR W/O ALI ASGAR HERE BY DECLARE THAT I HAVE CHANGE MY NAME AS ANISA LOKHANDWALA W/O ALI ASGAR LOKHANDWALA SO FROM NOW AND IN FUTURE I WILL BE KNOWN BY MY NEW NAME **ANISA LOKHANDWALA W/O ALI ASGAR LOKHANDWALA**

ADD: MAKAN NO 356, SARAFA BAZAR WARD NO 28 MANDSAUR

CHANGE OF NAME

It is for general information that I, Sonu Lohar S/o Ramesh Chand Lohar R/o B4, Hig Ravishankar Shukla Nagar, VTC-Indore, PO-Indore Nagar, District-Indore, Madhya Pradesh - 452007, declare that name of mine, my father and my mother has been wrongly written as Sonu Solanki, Ramesh Chandra Solanki, and Vishnu Bai Solanki, respectively in my 10th and 12th class School Certificate Cum Marksheet . The actual name of mine, my father and my mother is Sonu Lohar, Ramesh Chand Lohar, and Vishnu Bai Lohar, respectively, which may be amended accordingly.

CHANGE OF NAME

I Ravindra S/O Mohan Lal Sad R/O Badgaon Barwaha, Khargone, Madhya Pradesh, 451113, Have Changed My Name To Ravindra Sad.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वगीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	9132616 & 8460594	होम लोन	08-Aug-2026	30,82,472.60/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं के नाम: 1. अमित चौहान 2. पिंकी चौहान

संपत्ति का पता: प्लॉट नंबर 53 का उत्तरी हिस्सा (पूरा टुकड़ा), जिसका एरिया 1000 वर्ग फुट यानी 92.93 वर्ग मीटर है (लंबाई: 50 फुट और चौड़ाई: 20 फुट), जो बैराठी कॉलोनी नंबर 02, इंदौर, मध्य प्रदेश-452001 में स्थित है और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: गली (पिछली लेन), पश्चिम: 30 फुट चौड़ी सड़क, उत्तर: प्लॉट नंबर 52, दक्षिण: उसी प्लॉट का बाकी हिस्सा।

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक: 08.09.2026
स्थान: मध्यप्रदेश
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

'दिवालिया' हो चुका है बंगाल उबरने में लगेगा वक्त

▶ **खाने-पीने के सामन पर अधिकारी की नजर**

नवभारत न्यूज़ नेटवर्क

कोलकाता, 7 सितम्बर. पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की आर्थिक हालत एकदम ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से राज्य की हालत दिवालिया जैसी हो गई है. इसे ठीक करने में कम से कम एक महीने का समय लगेगा. मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय नबान्न में वृद्धावस्था पेंशन की बढ़ी हुई 1,500 रुपये की राशि लाभार्थियों को वितरित कर रहे थे. अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार खाने-पीने की चीजों और मिठाइयों में मिलावट और 'नॉन-फूड-ग्रेड' रंग के इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. कारोबार पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए. मुख्यमंत्री ने अफसोस जताते हुए कहा कि कुछ अधिकारी गलत तौर-तरीकों को होने देने में शामिल रहे होंगे,

MANI AGRO CHEMICALS

13, BRG Industrial Park, Malikhedi, Nemawar Road, Indore (M.P.)

In pursuance to the Order No. 2900(E) Dated 24th October, 2015 issued by Department of Agriculture and Co-operation, Ministry of Agriculture Govt. of India, **MANI AGRO CHEMICALS.** Hereby notifies that it intends to Introduce 100% Water Soluble Mixture of Fertilizer like -

(1) N.P.K. (19:19:19) (MANI GROW 19:19:19)
(2) N.P.K. (13:40:13) (MANI GROW 13:40:13)
(3) N.P.K. (20:20:20) (MANI GROW 20:20:20)

We will comply with terms and condition as per the above notification of Govt. of India.

Mail : maniagrochemicals@gmail.com, Mobile: 9827030171

संघ के काम का आधार नफरत नहीं

नवभारत न्यूज नेटवर्क

लंदन, 7 सितम्बर. (एजेंसी). सुप्रीमो मोहन भागवत ब्रिटेन दौरे पर है. लंदन में वे एकता का जश्न कार्यक्रम में शामिल हुए. इस कार्यक्रम में उन्होंने हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, सेवा और समाज के भविष्य पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि संघ के काम का आधार नफरत नहीं है. इसके उलट इसका आधार शुद्ध सात्विक प्रेम है. समाज में लोगों को जोड़ना और सभी के प्रति अपनापन रखना संघ की सोच का हिस्सा है. भागवत ने कहा कि अपनापन संघ को समझने की अहम कुंजी है. हिंदू की सोच में परिवार, समाज, मानवता और प्रकृति सभी एक-दूसरे से जुड़े हैं. हिंदू केवल पूजा करने वाला व्यक्ति नहीं है. वह प्रकृति से भी प्रेम करता है. इंसान को प्रकृति पर विजय पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. इंसान खुद प्रकृति का हिस्सा है. भागवत ने कहा कि विकास केवल व्यक्ति का नहीं होना चाहिए. व्यक्ति, समाज, मानवता और प्रकृति सभी की एक साथ प्रगति जरूरी है. अगर केवल व्यक्ति को महत्व दिया गया तो समाज कमजोर होगा. अगर केवल समाज को महत्व दिया गया तो व्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म हो सकती है. इसलिए दोनों के बीच संतुलन बना रहे ये बहुत जरूरी है.

> हिंदू विचार में दुनिया को एक इकाई के रूप में देखने की बात है. इसी वजह से अलग विचारों और विविधताओं को स्वीकार करने की भावना पैदा होती है. विविधता स्वाभाविक है. लेकिन उसके पीछे एकता को देखना जरूरी है. उनका संदेश था कि जो बात लोगों को जोड़ती है, उस पर ज्यादा जोर होना चाहिए. हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व पर पूछे गए सवाल के जवाब में भागवत ने कहा कि हिंदू को केवल धार्मिक पहचान के आधार पर नहीं समझा जा सकता. उन्होंने इसे एक प्रकृति और सोच बताया. उनका कहना है कि भारत में नास्तिक से लेकर आस्तिक और अलग-अलग विचार रखने वाले लोग रहे हैं. हिंदू सोच का दावा है कि अलग-अलग रास्तों को स्वीकार किया जा सकता है.

फ्रिज में मिला रिया का सिर

नवभारत न्यूज़ नेटवर्क

गुवाहाटी, 7 सितम्बर. असम के गुवाहाटी में बेहद खौफनाक हत्याकांड सामने आया है. इस हत्याकांड ने 202 के श्रद्धा वाकर हत्याकांड की बुरी यादें ताजा कर दी हैं. बेलटोला इलाके में एक घर से महिला का क्षत-विक्षत शव बरामद किया गया है.

सार्वजनिक सूचना

मैसर्स अवाडा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एईपीएल), जिसका पंजीकृत कार्यालय 406, हबटाउन सोलारिस, एन. एस. फडके मार्ग, अँधेरी (ई), मुंबई – 400069, भारत में स्थित है, भारत सरकार को विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 164 के तहत विद्युत् ट्रांसमिशन के लिए विद्युत् लाइनों अथवा विद्युत् संयंत्र की स्थापना के लिए अथवा टेलिफोन या टेलीग्राफिक संचार के उद्देश्य से कार्यों के उचित समन्वय के लिए आवश्यक वें सभी शक्तियां प्रदान करने के लिए आवेदन करने की इच्छुक है, जो टेलीग्राफ प्राधिकरण द्वारा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत सरकार द्वारा स्थापित किये गए या बनाये गए या स्थापित किये जाने वाले या बनाए जाने वाले टेलीग्राफ के उद्देश्य से टेलीग्राफ लाइनों और पोस्टों की स्थापना के सम्बन्ध में धारित हैं, और निम्नलिखित ट्रांसमिशन योजना के लिए सर्वेक्षण, निर्माण, संस्थापन, निरीक्षण, उत्थापन और अन्य कार्य के पश्चात कमीशनिंग, प्रचालन, अनुरक्षण और अन्य कार्य करेगी:
ट्रांसमिशन योजना का नाम: "मध्य प्रदेश के आगर मालवा में सोलर पावर प्लांट के लिए मैसर्स अवाडा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को 300 मेगावाट की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली."।
योजना के अंतर्गत ट्रांसमिशन लाइन का नाम : AEPL सोलर पावर प्लांट (जनरेशन स्विचयार्ड ग्राम: बामन्याखेडी एवं नवा खेडा, तालुका: सुसनेर, जिला: आगर मालवा, मध्य प्रदेश में स्थित) – पचोरा PS 220 केवी एससी लाइन (डीसी टावर पर) ।
लाइन की कुल लंबाई लगभग 33 किमी है। जिसमें से पचोरा PS की ओर से लगभग 2 किमी की लंबाई एससी लाइन (एमसी टावर) पर जाएगी।
उपरोक्त शिरोपरि ट्रांसमिशन लाइन प्रस्तावित रूट के आधार पर निम्नलिखित गाँवों, कस्बों और शहरों से, उनके बीच से, ऊपर से और आसपास से होकर गुजरेगी:

क्रम सं	गांव	तहसील	जिला	राज्य
1.	डोंगरगॉव (डोंगरगॉव सुसनेर), डोंगरगॉव (हिवलपुरा), डोंगर, देहरियासुसनेर (देहरिया सुसनेर), माधोपुर बिर (बीड माधोपुर), कलारिया, मैना, नवाखेरा (नवा खेडा), बामन्याखेरी (बामन्याखेडी), पिपलिया नानकार (पिपल्या नानकार), बीड पीपल्या, उमरिया, सुसनेर, नाहरखेरा (नाहरखेडा), लटुरी (लटुरी गुर्जर), आकली (अंकली), करिआ (कडिया), खनोटा, मौरुखेडी	सुसनेर	आगर मालवा	मध्य प्रदेश
2.	बावडीखेडा, लोलकी (लोलाकी), सेमलखेरी (सेमलखेडी)	नलखेडा		
3.	बरारा, बरखेरा, महुरूण्डी (महारूण्डी), सारंगाखेरी (सारंगाखेड़ी), दाबरिया (दाबडिया), बड़ा बरखेड़ा	बरोड़ (बड़ौद)		
4.	आमला (आमला आगर), महुरिया (महुडिया आगर, महुडिया), लखमीखेरा (लखमी खेडा), मोयाखेरा (मोया खेडा), सालरी, भीमलोद (पंचारूंडी, पाचारुण्डी), काशी बररिया (काशी बर्डीया), अहीर बरारिया (अहिर बरडिया), लसुरली, भानपुरा, सुंडी, कसाईदेहरिया (कसाई देहरिया), निपान्या बैजनाथ, दूधपुराखेरा (दूधपुरा), दूधपुरा, लारवन (लाड़वन), पचोरा, पचोरी, चिकलीपरमार (चिकली परमार), पिपल्याकुमार (पिपल्या कुमार), चिकलीगोयल (चिकली गोयल), झिकरिया का खेरा (झिकडिया), बांसखेरी (बांस खेडी, बास खेडी), परसुखेरी (परसु खेडी), कुन्डला (कुन्डला आगर), खेरा माधोपुर (माधोपुर)	आगर		

रूट संरेखण की प्रति अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध है. आम जनता को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह ट्रांसमिशन लाइन के प्रस्तावित रूट के संबंध में अपनी टिपण्णी/प्रतिवेदन नोटिस के प्रकाशन की तिथि से दो माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकते है।

अधिक विवरण और स्पष्टीकरण के लिए कृपया संपर्क करें:
दिलीप प्रधान, उप महाप्रबंधक (ट्रांसमिशन), अवाडा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, सी–11, सेक्टर–65, नोएडा–201301, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, भारत. ईमेल: dilip.pradhan@avaada.com, फोन: 0120–6975357.

शुभम् हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

कार्पो. कार्यालय : 425, उद्योग विहार फेस -IV, गुरूग्राम -122015 (हरियाणा)
फोन: 0124-4212530/31/32, ईमेल : customercare@shubham.co, वेबसाईट - www.shubham.co

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (इसमें आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

यह आपको सूचित किया जाता है कि धरोहर ऋणकर्ता **शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कंपनी लिमिटेड** जिसका पंजीकृत कार्यालय 608, 609, छठवीं मंजिल, ब्लॉक–सी अंसल एम्पेरियल टॉवर, कम्युनिटी सेन्टर, नारायणा विहार, न्यू दिल्ली–110028 (इसके पश्चात 'एसएचडीएफसीएल' के रूप में संबोधित) द्वारा आपके ऋण खाते को एनपीए के तौर पर घोषित कर चुका है एवं एसएचडीएफसीएल के आपके ऋण खाते के विरूद्ध संपूर्ण ऋण का भुगतान करने के उत्तरदायी है। आपको उपरोक्त राशि पर अनुबंध दर पर लागू भविष्य ब्याज के साथ प्रासंगिक व्यय, मूल्य, शुल्क आदि का भुगतान करने के उत्तरदायी है। इसलिए इस सूचना के दिनांक से 60 दिवस में एसएचडीएफसीएल को आपके संपूर्ण दायित्व का भुगतान करने के लिए आपको बुलाया जाता है असफल रहने पर एसएचडीएफसीएल को कानून की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करने में सक्षम होगी। ऋणकर्ताओं एवं धरोहर संपत्ति का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र. स.	ऋण खाता क्रं. ऋणकर्ता (ओं) का नाम	ऋणी का पता	मांग सूचना दिनांक एवं मांग राशि	सुरक्षित संपत्ति
1	लोन नं. 0INA2504000005106141 एवं 0INA2504000005107323, वन्दना, संजय सिंह, बाबूलाल	मकान नंबर 5/11, केसर बाग मैक्सी रोड, पावासा, उज्जैन, मध्य प्रदेश – 456010	10-08-2026 एवं ₹ 12,54,386/- एवं ₹ 6,06,801/-	मकान नं. 97सी, सर्वे संख्या 15/ 2/ 2, प.ह.नं. 40, ग्राम पावसा, वार्ड नं. 40, जोन 05, तहसील एवं जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश – 456010, **क्षेत्रफल**– 450 वर्ग फुट, **चतुर्सीमा:** पूर्व – सड़क, पश्चिम – भूखंड नंबर 133 सी, उत्तर – भूखंड नंबर 98 सी, दक्षिण – भूखंड नंबर 96 सी
2	लोन नं. 0IDR2211000005054274 एवं 0IDR2210000005053067, पवन बरोले, काशी बरोले	28 ऋषि पैलेस कॉलोनी निकट गुरु शंकर नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश – 452009	10-08-2026 एवं ₹ 4,35,428/- एवं ₹ 15,05,866/-	मकान नं. 28, ऋषि पैलेस कॉलोनी, गुरुशंकर नगर के निकट, तहसील एवं जिला इंदौर, मध्य प्रदेश – 452009, **क्षेत्रफल**– 500 वर्ग फुट, **चतुर्सीमा:** पूर्व – सड़क, पश्चिम – वेद प्रकाश का प्लॉट नंबर 72, उत्तर – विष्णु साहू का प्लॉट नंबर 27–बी, दक्षिण – मदन साहू का मकान नंबर 27
3	लोन नं.0INA2410000005091368 एवं 0INA2309000005069888, कानूनी वारिस (मृत सुरेश शर्मा), अंजली शर्मा, अनीता	1947–सी द्वारकापुरी, इंदौर, मध्य प्रदेश – 452009	10-08-2026 एवं ₹ 3,51,951/-	मकान नंबर 1946–सी, पैकी, वार्ड नंबर 84, द्वारकापुरी, तहसील एवं जिला इंदौर, मध्य प्रदेश – 452009, **क्षेत्रफल**– 463 वर्ग फुट, **चतुर्सीमा:** पूर्व – अन्य मकान, पश्चिम – सड़क, उत्तर – मकान संख्या 1947, दक्षिण – मकान संख्या 1946–बी का शेष भाग

स्थान : गुडगाँव
दिनांक: 07-09-2026

प्राधिकृत अधिकारी
शुभम हाउसिंग डेवलपमेन्ट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

रजिस्टर्ड आफिस- शिवालिक स्माल फाइनेंस बैंक लिमि . 501, सालकोन औरम, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, न्यू दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, दिल्ली- 110025 व ब्रांच आफिस- शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमि., उज्जैन मध्यप्रदेश

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए नीलामी सह बिक्री सूचनाओं के लिए सार्वजनिक सूचना

परिशिष्ट-IV-A [नियम 8 (6) का प्रावधान देखें]

प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु खुली नीलामी बिक्री सूचना, जिसे प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पढ़ा जाए एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित लेनदार के पक्ष में बंधक/प्रभारित है तथा जिसका भौतिक कब्जा सुरक्षित लेनदार शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को दिनांक 25-09-2026 को "जहाँ है जैसी है", "जो है जैसी है" तथा "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा।
उक्त संपत्ति की बिक्री शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, सुरक्षित लेनदार को निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता(ओं)/बंधककर्ता(ओं) से दिनांक 15-09-2025 तक देय रू. 4,50,000/- (चार लाख पचास हजार मात्र) तथा उसके बाद उस पर देय ब्याज एवं अन्य प्रभारों की वसूली हेतु की जा रही है:- 1. श्री दारा सिंह, पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण (उधारकर्ता) निवासी - ग्राम भुखी इटावरपुर, तहसील तराना, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश - 456661। 2. श्रीमती पूजा, पत्नी श्री दारा सिंह (सह-उधारकर्ता) निवासी -ग्राम भुखी इटावरपुर, तहसील तराना, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश - 456661। 3. श्री लक्ष्मीनारायण, पुत्र श्री दयाराम (सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता) निवासी -ग्राम भुखी इटावरपुर, तहसील तराना, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश - 456661। 4. श्रीमती नर्मदा बाई, पत्नी श्री लक्ष्मीनारायण (सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता) निवासी - ग्राम भुखी इटावरपुर, तहसील तराना, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश - 456661।
आरक्षित मूल्य रू. 6,00,000/- (छह लाख मात्र) निर्धारित किया गया है। बयाना राशि (ईएमडी) बोली राशि का 10%, अर्थात रू. 60,000/- (साठ हजार मात्र) होगी। उक्त राशि बैंक के पास दिनांक 24-09-2026 को शाम 5:00 बजे तक या उससे पहले जमा करनी होगी। संपत्ति का विवरण निम्नानुसार है:-

उधारकर्ता/गारंटर का नाम	डिमांड नोटिस की तिथि व डिमांड नोटिस के अनुसार बकाया राशि	अचल संपत्ति का विवरण	रिजर्व मूल्य	बयाना जमा राशि (ईएमडी)
1. श्रीमान दारा सिंह पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण (उधारकर्ता) निवासी ग्राम भूखी इटावरपुर, तहसील तराना, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456661, 2. श्रीमती पूजा पत्नी श्री दारा सिंह (सह-उधारकर्ता) निवासी ग्राम भूखी इटावरपुर, तहसील तराना, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456661, 3. श्री लक्ष्मी नारायण पुत्र श्री दयाराम (सह-उधारकर्ता/ गिरवीकर्ता) निवासी ग्राम भूखी इटावरपुर, तहसील तराना, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456661, 4. श्रीमती नर्मदा बाई पत्नी श्री लक्ष्मी नारायण (सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता) निवासी ग्राम भूखी इटावरपुर, तहसील तराना, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456661 (ऋण खाता संख्या 103041544591)	15-09-2025 रू. 4,50,000/- (चार लाख पचास हजार मात्र)	अचल संपत्ति का विवरणः - आवासीय प्लॉट, जिसका क्षेत्रफल 1076 वर्गफुट (यानी 100 वर्ग मीटर) है। सर्वे नं.132/2/2 (S) P, हल्का नं. 47 (नया 137), ग्राम भुखी इतवारपुर, तहसील तराना, जिला उज्जैन, म.प्र.। राजस्व रिकॉर्ड में सीरियल नं. MP432022024A1871221, दिनांक 08-07-2024 के तहत पंजीकृत। यह संपत्ति श्री लक्ष्मी नारायण (पिता श्री दयाराम) और श्रीमती नर्मदा बाई (पत्नी श्री लक्ष्मी नारायण) के नाम पर पंजीकृत है।	रू. 6,00,000/- (छह लाख मात्र)	रिजर्व प्राइस 60,000/- (साठ हजार मात्र) का 10%

अचल संपत्ति के निरीक्षण की तारीखः- 23 सितंबर 2026...... सुबह 11:00 बजे - दोपहर 3:00 बजे
नीलामी की तारीख और बोली खोलने का समयः- 25 सितंबर 2026, सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक।
ऑफर/EMD जमा करने की आखिरी तारीखः 24 सितंबर, 2026, शाम 5:00 बजे तक।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट https://shivalikbank.com/auction_of_bank_properties.php में दिए गए लिंक को देखें,

बिक्री के महत्वपूर्ण नियम और शर्तें-

(1) संपत्ति "जैसी है, जहाँ है, जो भी हो" के आधार पर और बिना किसी प्रतिफल के बेची जा रही है, अतः यह बिक्री बिना किसी गारंटी या क्षतिपूर्ति के है।
(2) संपत्ति/दस्तावेजों का निरीक्षण उपर्युक्त तिथि और समय पर बैंक के अधिकृत अधिकारी के समक्ष किया जा सकता है।
(3) बिक्री के सभी सामान्य नियम और शर्तों वाले बोली दस्तावेज/फॉर्म बैंक की उपर्युक्त शाखा में कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्यदिवस पर अधिकृत अधिकारी से प्राप्त किए जा सकते हैं। इच्छुक बोलीदाताओं को निर्धारित बोली फॉर्म पर अपनी सीलबंद बोलियाँ बैंक के अधिकृत अधिकारी को भेजनी चाहिए।
नीलामी संपत्ति के लिए बोली का उल्लेख करते हुए सीलबंद लिफाफे में बोली जमा करें और इसके साथ "शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड" के पक्ष में नोएडा में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ईएमडी (बोली राशि का 10%) संलग्न करें। बोली जमा करने की अंतिम तिथि 24 सितम्बर 2026 को शाम 5:00 बजे तक बैंक की उपर्युक्त शाखा में होनी चाहिए। जो बोलियां भरी नहीं गई हैं या अंतिम तिथि के बाद प्राप्त हुई हैं, उन्हें अमान्य माना जाएगा और तदनुसार अस्वीकार कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। एक बार बोली जमा करने के बाद, उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। सीलबंद बोलियां 25 सितम्बर 2026 को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक बैंक की उपर्युक्त शाखा में उपस्थित बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जाएंगी और उसके बाद पात्र बोलीदाताओं को अधिकृत अधिकारी के विवेक पर प्रस्ताव मूल्य बढ़ाने के लिए आपस में बोली लगाने का अवसर दिया जा सकता है।
(4) प्रस्तुत की जाने वाली बोली का मूल्य आरक्षित मूल्य से अधिक होना चाहिए और बोलीदाता को अपने प्रस्ताव में 50,000 रुपये के गुणक में और सुधार करना होगा। संपत्ति को अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा।
(5) सफल बोलीदाता को विक्रय मूल्य का 25% (ईएमडी सहित) अगले कार्यदिवस तक तुरंत जमा करना होगा। यह जमा राशि शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के पक्ष में नोएडा में देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा करनी होगी। शेष विक्रय मूल्य का भुगतान सफल बोलीदाता द्वारा बैंक द्वारा बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा भुगतान की गई ईएमडी और विक्रय मूल्य पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। यदि सफल बोलीदाता विक्रय की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या कोई चूक करता है, तो ईएमडी या 25% (जो भी हो) की जमा राशि बैंक द्वारा जब्त कर ली जाएगी।
(6) बैंक प्रस्तावित संपत्ति या किसी अन्य बकाया राशि, जैसे कि बकाया जल/विद्युत बिल, संपत्ति कर, नगर पालिका/पंचायत कर या अन्य शुल्क, के संबंध में किसी भी प्राधिकरण से या किसी अन्य लागू कानून के तहत कोई अनुमति/एनओसी प्राप्त करने की जिम्मेदारी नहीं लेता है।
(7) सफल बोलीदाता को सभी खर्चों का वहन करना होगा, जिसमें किसी भी विकास प्राधिकरण के बकाया/कर/उपयोगिता बिल आदि, नगर निगम को देय राशि या किसी अन्य प्राधिकरण/एजेंसी को देय राशि और 'बिक्री प्रमाण पत्र' के पंजीकरण के लिए देय स्टाम्प शुल्क/पंजीकरण शुल्क आदि शामिल हैं।
(8) अधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्तावों/बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने, बिक्री को स्थगित/रद्द करने या बिना किसी पूर्व सूचना के बिक्री की किसी भी शर्त को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार और विवेकाधिकार सुरक्षित है।
(9) एक बार लगाई गई बोलियों को रद्द या वापस नहीं लिया जा सकता है।
(10) बैंक को अपनी जानकारी के अनुसार, बेची जाने वाली संपत्ति पर बैंक के अलावा किसी अन्य प्रकार के भार की जानकारी नहीं है। इच्छुक पक्षकार संपत्ति का स्वयं मूल्यांकन करके संतुष्ट हो सकते हैं। बैंक किसी भी प्रकार से उक्त संपत्ति की उपयुक्तता/स्वामित्व के संबंध में कोई गारंटी या प्रतिनिधित्व नहीं करता है। किसी अन्य जानकारी के लिए, अधिकृत अधिकारी उक्त संपत्ति के संबंध में सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को देय किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार, भार, संपत्ति कर या किसी अन्य देय राशि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। उधारकर्ता/बंधक/गारंटर को सूचित किया जाता है कि वे बिक्री के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें और वे बिक्री की शर्तों और नियमों के अनुसार, ऊपर वर्णित अचल संपत्ति को खरीदने के लिए इच्छुक खरीदारों को ला सकते हैं।
(11) अचल संपत्ति उच्चतम बोलीदाता को बेची जाएगी। हालांकि, यदि आवश्यक समझा जाए तो, अधोहस्ताक्षरी को आपस में बोली लगाने की अनुमति देने का पूर्ण विवेकाधिकार सुरक्षित है।
(12) बैंक संपत्ति पर किसी भी ऐसे दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जिसकी जानकारी बैंक को न हो।
(13) उधारकर्ता/गिरवीदार/गारंटर को एतद्द्वारा अचल सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए नियम 8 (6) के तहत 15 दिन की बिक्री सूचना दी जाती है, जो हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। इस सूचना के जारी होने की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर उपरोक्त उल्लिखित देय राशि, ब्याज और व्यय सहित पूर्ण दायित्व का भुगतान करना होगा, अन्यथा सुरक्षित परिसंपत्ति को उपरोक्त शर्तों के अनुसार बेच दिया जाएगा। यदि अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों में बिक्री सूचना के प्रकाशन में कोई विसंगति पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी समाचार पत्र को स्थानीय भाषा के समाचार पत्र से ऊपर माना जाएगा और उसे अंतिम प्रति माना जाएगा, जिससे अस्पष्टता दूर हो जाएगी। यदि उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदार बिक्री की तारीख से पहले बैंक को देय राशि का पूरा भुगतान कर देते हैं, तो नीलामी रोकी जा सकती है। हालांकि, ऐसे मामलों में, नोटिस में उल्लिखित बकाया राशि पर ऋण दस्तावेजों के अनुसार लागू ब्याज लगाया जाएगा और भुगतान होने तक अन्य आकस्मिक खर्च, लागत आदि भी देय होंगे।
(14) अधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी और निर्विवाद होगा। बोली जमा करने वाले सभी बोलीदाताओं को नीलामी बिक्री के नियम और शर्तें पढ़ और समझ ली गई मानी जाएगी और वे इनसे बाध्य होंगे।
(15) विवरण, सहायता, प्रक्रिया और बोली लगाने के संबंध में इच्छुक बोलीदाता श्री शुभम शर्मा से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क क्रमांकः 8770158132।
1. कृपया ध्यान दें कि सुरक्षित ऋणदाता, बैंक, सभी उधारकताओं/सह-उधारकताओं/गारंटरों/गिरवीदारों को उनके पते पर डाक द्वारा बिक्री सूचना जारी करेगा। यदि किसी भी पक्ष को यह सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो बिक्री सूचना का यह प्रकाशन सेवा के वैकल्पिक तरीके के रूप में माना जाएगा।
2. उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदारों को यह भी सूचित किया जाता है कि उन्हें उपरोक्त परिसर में रखी/बैंक की हिरासत में मौजूद अपनी घरेलू वस्तुओं को, यदि कोई हो, इस प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर पूर्व अनुमति से प्राप्त कर लेना चाहिए। ऐसा न करने पर बैंक की इन वस्तुओं के प्रति कोई देनदारी/जिम्मेदारी नहीं होगी और बैंक उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीदारों के जोखिम पर उनका निपटान करेगा और बिक्री से प्राप्त राशि को बकाया राशि में समायोजित करेगा।
3. यदि किसी भी कारण से नीलामी विफल हो जाती है, तो कंपनी को SARFAESI अधिनियम, 2002 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार निजी समझौते के माध्यम से उपरोक्त गिरवी रखी संपत्तियों को बेचने की स्वतंत्रता होगी।

दिनांक- 07.09.2026, स्थान : नोएडा
प्राधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड